FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :–	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है –	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 0.063 हे. प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नही हो)–	मुंगेली वनमंडल – 0.063 हें. आरक्षित वन 0.020 हें. संरक्षित वन 0.004 हें. राजस्व वन 0.039 हें.
iii.	परियोजना की कुल लागत –	35 करोड़ 08 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जॉच की गई उनको दर्शाते हुऐ और नामंजूर करने के कारण बताएं जाऐ –	मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मॉग कि गई वनभूमि न्युनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है तथा तकनीकि दुष्टी कोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओ को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नही जा सकता है।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ –	मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लोरमी ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी –	मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लोरमी ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी

vii.	सृजित रोजगार	आवश्यकतानुसार
2	**परियोजना स्कीम का स्थान :–**	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश –	छत्तीसगढ़
ii	जिला –	मुगेंली
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट –	संलग्न पेज क्रमांक से
3	**मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –**	मुंगेली वनमंडल – 0.063 हें. आरक्षित वन 0.020 हें. संरक्षित वन 0.004 हें. राजस्व वन 0.039 हें.
4	**शामिल वनभूमि का ब्यौरा –**	
i	वन की वैधानिक स्थिति (नामतः आरक्षित/ सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) –	मुंगेली वनमंडल – 0.063 हें. आरक्षित वन 0.020 हें. संरक्षित वन 0.004 हें. राजस्व वन 0.039 हें.
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा –	आवश्यक नही है।
iii	वनस्पति की सघनता –	आवश्यक नही है।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	आवश्यक नही है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नही –	आवश्यक नही है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणींयो को संलग्न करें)	आवश्यक नही है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना /स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा –	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल रकबा 0.036 हें. भूमि उपयोग की जानी है।

viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्भ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां –	आवश्यक नही है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नही है।
x	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नही है।
5	**परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा –**	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नही है।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नही है।
iii	विस्तृत पुनवार्स योजना –	आवश्यक नही है।
6	**क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –**	
i	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार –	आवश्यक नही है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	आवश्यक नही है।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढ़ाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम –	आवश्यक नही है।
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय –	आवश्यक नही है।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नही है।

vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र –	आवश्यक नही है।
vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये –	आवश्यक नही है।
	a. पारेषण लाईन की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई –	आवश्यक नही है।
	c. मार्ग का अधिकार –	आवश्यक नही है।
	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	आवश्यक नही है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	आवश्यक नही है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई –	आवश्यक नही है।
7	**सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –**	
i	कुल आवाह क्षेत्र –	आवश्यक नही है।
ii	कुल कमानु क्षेत्र –	आवश्यक नही है।
iii	कुल जलाशय स्तर –	आवश्यक नही है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर –	आवश्यक नही है।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर –	आवश्यक नही है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृर्षि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) –	आवश्यक नही है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र–	आवश्यक नही है।
viii	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र–	आवश्यक नही है।

ix	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नही है।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नही है।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र –	आवश्यक नही है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना –	आवश्यक नही है।
xiii	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में –	आवश्यक नही है।
8	**सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे –**	आवश्यक नही है।
9	**केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये –**	आवश्यक नही है।
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नही है।
ii	सड़क की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है।
iii	पहले बनाई जा चूंकि सड़क की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है।
10	**खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)**	आवश्यक नही है।
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	आवश्यक नही है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	आवश्यक नही है।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार –	आवश्यक नही है।
iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन –	आवश्यक नही है।
v	खनन कार्यो की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नही है।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना –	आवश्यक नही है।

vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान –	आवश्यक नही है।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें –	आवश्यक नही है।
ix	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या –	आवश्यक नही है।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल –	आवश्यक नही है।
	a. खनन –	आवश्यक नही है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन –	आवश्यक नही है।
	c. अधिभार को जमा करना –	आवश्यक नही है।
	d. औजारो एवं मशीनों का भण्डारन –	आवश्यक नही है।
	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नही है।
	f. शहर, आवास, कालोनियां –	आवश्यक नही है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग का निर्माण	आवश्यक नही है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नही है।
xi	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नही है।
xii	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या –	आवश्यक नही है।
xiii	बारहमासी नदियों के मार्गो राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वो के खनन की दूरी –	आवश्यक नही है।

xiv	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नही है।
xv	भूमिगत खनन कार्यो में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव –	आवश्यक नही है।
11	**लागत लाभ विश्लेषण –**	आवश्यक नही है।
12	**क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नही) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नही)**	आवश्यक नही है।
13	**क्या अधिनियम का उंल्लघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हां/नही) यदि हां तो –**	नही।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे –	नही।
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी –	नही।
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही –	नही।
	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुऐ कार्य किया जा रहा है –	नही।
14	**कोई अन्य सूचना –**	नही है।
15	**संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे–**	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	**निम्नलिखित पहलुओं के बारें में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात –**	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –।।" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 0.063 हे. प्रस्तावित है।
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद –	
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	

	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति –	प्रस्तावित वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकडी आपूर्ति तथा आदिवासीयो और पिछाडे समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।
	b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें –	

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

TATA PROJECTS LIMITED
TATA

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली, वनमण्डल
जिला– मुंगेली छत्तीसगढ़